



# माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क्र. I/निग./छतरपुर/भू.रा./2017/4001

प्रजेन्ड सिद्द धाक  
25/10/17

शांती राजपूत पत्नी मोहन सिंह राजपूत,  
निवासी-ग्राम अटकौहा तह. लवकुशनगर, जिला  
छतरपुर म.प्र. ....आवेदक

बनाम

1. रजनीश पुत्र नाथूराम खरे ग्राम अरकौहा तह.  
लवकुशनगर, जिला छतरपुर म.प्र. ....फॉर्मल  
पक्षकार
2. रघुवीर सिंह पुत्र कपूर सिंह
3. म.प्र. शासन .....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक  
04.10.2017 पारित द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर जिला छतरपुर म.प्र. के  
प्रकरण क्रमांक 23/अ-21/2008-09 से असंतुष्ट होकर  
माननीय न्यायालय,

आवेदिका की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य :-

1. यहकि, अनावेदक क्रमांक 2 रघुवीर सिंह पुत्र कपूर सिंह को दिनांक  
23.07.1988 में भूमि सर्वे नं. 1116/4, 1163, 1165 रकवा क्रमशः  
0.340 है, 0.282 है. 0.765 है. स्थित ग्राम अटकौहा तह. (लौडी)  
लवकुशनगर का विधिवत शासन द्वारा पट्टा आवेदक को प्रदान  
किया गया था।
2. यहकि, अनावेदक क्र. 2 द्वारा वर्ष 1998 से लगभग 19 वर्ष बाद स्वतः  
ही भूमि स्वामी हक अर्जित होने के पश्चात् आवेदिका शांती राजपूत  
पत्नी मोहन सिंह को दिनांक 16.02.2006 में विधिवत रजिस्टर्ड विक्रय  
पत्र द्वारा उक्त भूमि अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा आवेदक को विक्रय  
कर दी गई एवं उक्त विक्रय पत्र के आधार पर आवेदिका द्वारा

9/11/17  
प्रजेन्ड सिद्द धाक  
25/10/17


25/10/17

3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- एक / निगरानी / छतरपुर / भू.रा. / 2017 / 4001

शांति राजपूत विरुद्ध रजनीश आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
12-02-19	<p>आवेदक की ओर से श्री बृजेन्द्र सिंह धाकड़ अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 23/अ-21/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 04-10-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 15-4-2019 को आयुक्त सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p align="right">             (अ.र.के. जैन)            सदस्य 12/02/19         </p>